29 वीं

दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 23 फरवरी, 2000 को दोपहर 12.30 बजे दिल्ली जल बोर्ड के सभाकक्ष वरूणालय फेज–2, करोल बाग, नई दिल्ली–110 005 में हुई 29वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

1.	श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रदीप मेहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
4.	श्री प्रहलाद सिंह साहनी, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	सदस्य
5.	श्री ब्रहम सिंह तंवर, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	सदस्य
6.	श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य
7.	श्री आर.सी. वर्मा, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य
8.	श्री छन्नू मल, सदस्य, दिल्ली छावनी बोर्ड	सदस्य
9.	श्रीमती सुमन स्वरूप, प्रधान सचिव (शहरी विकास)	सदस्य
10.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	सदस्य

बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 27 जनवरी, 2000 को सम्पन्न हुई 28वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई ।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही का विवरण:–

दिल्ली जल बोर्ड की 6 दिसम्बर, 1999 को सम्पन्न हुई 27वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाई का विवरण बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया गया । बोर्ड ने इसे रिकार्ड में ले लिया ।

मद संख्या 458 गोपनीय

बोर्ड ने इस मद पर विचार को स्थगित रखा ।

संकल्प संख्या 515

मद संख्या 506 गोपनीय

अलग से परिपत्रित ।

मद संख्या 507 गोपनीय

बोर्ड ने इस मद पर विचार को स्थगित रखा ।

मद संख्या 508 गोपनीय

बोर्ड ने इस मद पर विचार को स्थगित रखा ।

संकल्प संख्या 516

मद संख्या 509 दिल्ली जल बोर्ड के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए आई.एस.ओ. 9002/बी.आई.एस. 14002 के अनुसार 9000 मी.टन. पॉली अल्युमिनियम क्लोराइड (पी.ए.सी.) की खरीद ।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–07 दिनांक 21.1.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि 9000 मी.टन. तरल पॉली अल्युमिनियम क्लोराइड (पी.ए.सी.) की खरीद के लिए रू0 3,56,76,000/– के संशोधित अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड द्वारा इस मद को मै0 ग्रासिम इन्डस्ट्रीज लि0 से रू0 3964/– प्रति मिट्रिक टन की दर से परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार खरीदने तथा भुगतान के प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी गई । बोर्ड ने बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की प्रत्याक्षा में कार्यवाई करने के लिए प्राधिकृत किया ।

संकल्प संख्या 517

मद संख्या 513 ऋषी नगर (रानी बाग) की सीवर व्यवस्था का सुधार ।

मुख्य अभियंता (सिविल)–2 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–7 दिनांक 21.1.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि ऋषी नगर, शकूर बस्ती कालोनी समूह में दोषपूर्ण सीवरेज प्रक्रिया में सुधार कार्य के लिए रू0 264.354 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 518

मद संख्या 518 दिल्ली जल बोर्ड में रू0 10,000–15,000 के वेतनमान में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर तदर्थ पदोन्नति को जारी रखना ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–3 दिनांक 24.1.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव में वर्णित 12 अधिकारियों को दिल्ली जल बोर्ड में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर रू0 10,000–15,000 के वेतनमान में तदर्थ पदोन्नति को 30.6.2000 तक अथवा पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति किये जाने तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 519

मद संख्या 525 दिल्ली जल बोर्ड में प्रशासनिक अधिकारी/क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–16 दिनांक 21.1.2000 में वर्णित दिल्ली जल बोर्ड में प्रशासनिक अधिकारी/क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया जाए कि इस पद पर पदोन्नति हेतु वांछित सम्मलित सेवा अवधि में संशोधन कर कार्यालय अधीक्षक और मुख्य लिपिक के ग्रेड में आठ वर्ष की सम्मलित सेवा सहित 2 वर्ष की नियमित सेवा में कार्यालय अधीक्षक को पदोन्नति हेतु योग्य बनाते समय भर्ती की विधि में 75% पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 25% सीधी भर्ती द्वारा पुर्नविचार किया जाए । बोर्ड का मत था कि उपरोक्त संस्तुतियों पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सहमति न दिए जाने की अवस्था में इस मामले को पुनः बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किए बिना कार्यालय अधीक्षक और मुख्य लिपिक के पद पर 8 वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा सहित 2 वर्ष की नियमित सेवा के साथ कार्यालय अधीक्षक को पदोन्नति हेतु योग्य बनाकर 60% नियुक्ति पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 40% नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा करने के उनके सुझाव को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मान लिया जाए । इस पद हेतु कालम संख्या 9 में वर्णित शैक्षिक योग्यता में संशोधन के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन को बोर्ड ने स्वीकार कर लिया ।

संकल्प संख्या 520

मद संख्या 527 निजी उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशियों के भुगतान करने पर छूट देने की योजना तथा वर्ष 1999–2000 की अवधि में राजस्व कर्मियों की राजस्व संग्रहण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार ।

निदेशक (राजस्व) द्वारा पत्र क्रमांक दिल्ली जल बोर्ड/पी.–7 दिनांक 24.1.2000 में वर्णित निजी उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशियों के भुगतान करने पर छूट देने की योजना तथा वर्ष 1999–2000 की अवधि में राजस्व कर्मियों द्वारा राजस्व संग्रहण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरूस्कार के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया। बोर्ड ने संकल्प लिया कि बकायादार उपभोक्ताओं (सरकारी और अर्ध–सरकारी एजेन्सियों के अलावा) द्वारा दिनांक 31.3.1999 तक के पिछले बकायों के सम्पूर्ण भुगतान करने पर 20% की छूट दी जाए । छूट की योजना दिनांक 1.2.2000 से 31.3.2000 तक लागू रहेगी । बोर्ड ने निर्देश दिया कि जो अधिकारी (कर्मी सम्मिलित) अपनी कुल मांग की 75% से अधिक वसूली करते हैं उन्हें निम्न प्रकार नकद पुरूस्कार दिया जाए:–

क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी	रू0 25,000/– प्रत्येक
सर्वेक्षण अधिकारी	रू0 10,000/– प्रत्येक

उप–निदेशक	रू0 7,500/– प्रत्येक
संयुक्त निदेशक	रू0 10,000/– प्रत्येक
मुख्यालय (राजस्व)	रू0 15,000/–

अधिकारियों को अपने कर्मियों के मध्य पुरूस्कार राशि का वितरण उनके कार्य निस्पादन के आधार पर करने के लिए बोर्ड ने अधिकृत किया ।

संकल्प संख्या 521

मद संख्या 528 अनाधिकृत नियमित कालोनियों में पेयजल की आंतरिक लाइनें बिछाने के लिये विकास प्रभारों की अग्रिम वसूली ।

निदेशक (राजस्व) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–8 दिनांक 24.1.2000 में वर्णित अनाधिकृत नियमित कालोनियों में पेयजल की आंतरिक लाइनें बिछाने के लिये विकास प्रभारों की अग्रिम वसूली करने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि अनाधिकृत नियमित कालोनी में पानी की लाइन बिछाने का कार्य इस विषय में पहले के निर्णयों के अनुसार तकनीकी साध्यता तथा निवासियों से विकास प्रभार की पहली अग्रिम किस्त की वसूली की शर्त पर किया जाए । विकास प्रभार की प्रथम अग्रिम किस्त को रू0 8/– प्रति वर्ग मीटर से संशोधित कर रू0 25/– प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया । इसके अतिरिक्त दूसरी किस्त को रू0 25/– प्रति वर्ग मीटर की दर से जल कनैक्शन लगाते समय वसूल की जाए । शेष राशि की 20 समान तिमाही किस्तों में वसूली की जाएगी ।

संकल्प संख्या 522

मद संख्या 529 दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

निदेशक (लेखा एवं वित्त) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–23 दिनांक 25.1.2000 में वर्णित दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड द्वारा अपनी 28वीं बैठक में इस मामले पर चर्चा को स्थगित रखा गया था तथा इस मामले पर श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/आर.बी./2000/27 दिनांक 3.2.2000 के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों सहित इस बैठक में चर्चा की गई । यह संकल्प लिया गया कि इस मामले की जांच हेतु एक उप–समिति गठित की जाए जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधान सचिव (शहरी विकास), सदस्य (प्रशा.), श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री प्रहलाद सिंह साहनी, श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड शामिल हों तथा समिति द्वारा अपना प्रस्ताव बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

संकल्प संख्या 523

मद संख्या 530 अवजल निकासी प्रबन्धन हेतु मुख्य अभियंता (सिविल) का एक पद, अधीक्षण अभियता(सिविल) के दो पद तथा अधिशासी अभियता (विद्युत एवं यांत्रिक) का एक पद सहायक कर्मियों सहित सृजित करना ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–17 दिनांक 25.1.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सी.एस.ई. विभाग के दिल्ली नगर निगम से दिल्ली जल बोर्ड में स्थानांतरण के फलस्वरूप अवजल निकासी व्यवस्था के प्रभावकारी प्रबन्धन हेतु मुख्य अभियंता (सिविल) का एक पद, अधिक्षण अभियंता (सिविल) के दो पद, अधिशासी अभियंता (सिविल) के दो पद, अधिशासी अभियंता (वि.एवं या.) का एक पद तथा सहायक कर्मियों के पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड ने संस्तुति दी की अवजल निकासी प्रक्रिया के दिल्ली जल बोर्ड को स्थानांतरित होने के बाद अधिक्षण अभियंता (वि.एवं या.) का एक पद सृजित किये जाने की आवश्यकता का आंकलन किया जाए ।

संकल्प संख्या 524

मद संख्या 532 करोल बाग खण्ड में सीवरेज प्रणाली का बदलाव/पुनः प्रारूपण ।

मुख्य अभियंता (सिविल)–2 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–8 दिनांक 27.1.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि करोल बाग जोन में 150 मि.मी. व्यास की आन्तरिक सीवर लाइनों को 250 मि.मी. व्यास की आर.सी.सी. एन.पी.–2 एस. और एस. पाइपों में बदलने के कार्य के लिए रू0 1,789.42 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । मुख्य अभियंता (सिविल)–2 ने बोर्ड को बताया कि यह कार्य 4–5 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा । बोर्ड ने इच्छा व्यक्त की कि इसके लिए एक समयबद्व कार्यक्रम तैयार किया जाए ।

संकल्प संख्या 525

मद संख्या 533 शास्त्री पार्क – ए, बी, सी, ब्लॉक, शाहदरा में आन्तरिक सीवर की व्यवस्था करना और बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सिविल)–4 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–9 दिनांक 25.1.2000 में वर्णित शास्त्री पार्क, शाहदरा के ब्लॉक ए, बी, सी, में आन्तरिक सीवरों की व्यवस्था तथा बिछाने के कार्य के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि इस कार्य के लिए रू0 42,58,555/– के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 526

मद संख्या 534 कैथवाड़ा व विस्तार भगत सिंह कालोनी एवं जगजीवन नगर, शाहदरा में आन्तरिक सीवर की व्यवस्था एवं बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सिविल)–4 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–10 दिनांक 25.1.2000 में वर्णित कैथवाड़ा और विस्तार भगत सिंह कालोनी तथा जगजीवन नगर शाहदरा में आन्तरिक सीवर की व्यवस्था और बिछाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि इस कार्य के लिए रू0 63,33,211/– के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 527

मद संख्या 536 गौतम पुरी, शाहदरा में आन्तरिक सीवर की व्यवस्था करना और बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सिविल)–4 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–11 दिनांक 25.1.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि गौतम पुरी, शाहदरा में आन्तरिक अवजल निकासी प्रक्रिया कीव्यवस्था, बिछान और जोड़ने के कार्य के लिए रू0 86,02,499/–के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 528

मद संख्या 536 रोहतास नगर, पश्चिमी रोहतास नगर, रोहतास नगर विस्तार तथा कबूल नगर (भाग) शाहदरा में आन्तरिक सीवर की व्यवस्था और बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सिविल)–4 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–12 दिनांक 27.1.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि रोहतास नगर, रोहतास नगर पश्चिमी तथा रोहतास नगर विस्तार और कबूल नगर के भाग में आन्तरिक सीवर लाइनों की व्यवस्था व बिछाने के कार्य के लिए रू0 1,14,71,029.19 के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 529

मद संख्या 537 अशोक नगर और दुर्गा पुरी विस्तार (भाग) शाहदरा में आन्तरिक सीवर की व्यवस्था और बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सी)–4 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–13 दिनांक 27.1.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उपरोक्त कार्य के लिए रू0 142.44 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 530

मद संख्या 538 दिल्ली जल बोर्ड में प्रवर्तन कक्ष का सृजन ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–18 दिनांक 2.2.2000 में वर्णित प्रस्ताव जो पानी की लाइनों से अनाधिकृत टैपिंग तथा अनाधिकृत जल कनैक्शनों की जांच करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड मे एक प्रत्यावर्तन कक्ष की स्थापना के सम्बन्ध में है, पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 531

मद संख्या 539 दिल्ली जल बोर्ड में हिन्दी सहायक/अनुवादक के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में संशोधन ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–12 दिनांक 21.1.2000 में वर्णित हिन्दी सहायक/अनुवादक के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि दिल्ली जल बोर्ड में हिन्दी सहायक/अनुवादक के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में संशोधन को इस संशोधन के साथ कि सभी पदों को विभागीय प्रतियोगिता परिक्षा के माध्यम से भरा जाए तथा भर्ती नियमों को संस्तुति हेतु संघ लोक सेवा आयोग को भेजने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 532

मद संख्या 540 दिल्ली जल बोर्ड में डॉक्टर (जी.डी.ओ.) ग्रेड–2 के पद हेतु भर्ती विनियम ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–11 दिनांक 21.1.2000 में वर्णित दिल्ली जल बोर्ड में चिकित्सक (जी.डी.ओ.) ग्रेड–2 के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों के प्रस्ताव पर विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है । श्रीमती सुमन स्वरूप, प्रधान सचिव (श.वि.) का मत था कि दिल्ली जल बोर्ड को भविष्य में चिकित्सालयों को चरणबद्व तरीके से समाप्त करने तथा सरकारी अस्पतालों, चिकित्सालयों और दिल्ली नगर निगम के चिकित्सा केन्द्रों में उपचार कराने के लिए चिकित्सा व्यय की क्षतिपूर्ति करने के सम्भावना का पता लगाना चाहिए । इस सुझाव की जांच की जाए ।

संकल्प संख्या 533

मद संख्या 541 दिल्ली जल बोर्ड में मिलराईट/फिटर टर्नर मशीनमैन प्रथम श्रेणी/मशीनस्ट–प्रथम श्रेणी के पद हेतु भर्ती विनियमों में संशोधन ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–9 दिनांक 18.1.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि मिलराईट प्रथम श्रेणी/फिटर टर्नर प्रथम श्रेणी/मशीनमैन प्रथम श्रेणी/मशीनस्ट प्रथम श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों को स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इन नियमों को अधिसूचित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग को भेजे जाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है ।

संकल्प संख्या 534

मद संख्या 542 उपयोग में न लाए जा रहे ओवरहैड टैंकों की स्थिति ।

मुख्य अभियंता (सिविल)–1 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–14 दिनांक 21.1.2000 में वर्णित उपयोग में न लाए जा रहे ओवरहैड टंकियों की स्थिति पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि अनुपयोगी घोषित करने वाले बोर्ड द्वारा संस्तुत 28 ओवरहैड टंकियों को तोडने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । उपयोग में न लाए जा रहे ओवर हैड टंकियों को तोड़ने के लिए समयबद्व कार्यक्रम निर्धारित किया जाए तथा नियतकालिक प्रगति रिर्पोट प्रस्तुत की जाए ।

संकल्प संख्या 535

मद संख्या 543 राजौरी गार्डन विस्तार (पश्चिमी क्षेत्र) में सीवर व्यवस्था में सुधार ।

मुख्य अभियंता (सिविल) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–9 दिनांक 7.2.2000 में वर्णित राजौरी गार्डन विस्तार (पश्चिमी क्षेत्र) में सीवर व्यवस्था में सुधार के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि इस कार्य के लिए रू0 196.92 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 536

मद संख्या 544 केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा दिल्ली राज्य में ट्यूबवैलों का नियमन ।

मुख्य अभियंता (सिविल)–1 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–17 दिनांक 24.1.2000 में वर्णित केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा दिल्ली संघ क्षेत्र में ट्यूबवैल्स के नियमन से सम्बन्धित मुख्य अभियंता (सिविल) प्रथम की रिर्पोट पर बोर्ड ने विचार किया। बोर्ड ने संकल्प लिया कि जनता की पेयजल की मांग को ध्यान में रखते हुए नजफगढ़, महरौली और अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में ट्यूबवैल्स लगाने सम्बन्धी प्रतिबन्ध इच्छा व्यक्त की कि उसके विचारों से केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण को सूचित किया जाए ।

संकल्प संख्या 537

मद संख्या 545 गो प नी य

अलग से परिपत्रित ।

संकल्प संख्या 538

मद संख्या 546 अधीक्षण अभियंता (निर्माण)मल–5 द्वारा माह नवम्बर–99 में किए गए कार्यो/सप्लाई सूची रू0 1.00 लाख से रू0 25.00 लाख की लागत तक ।

मुख्य अभियंता (सिविल)–4 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–14 दिनांक 1.2.2000 में वर्णित अनुबन्धों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 539

मद संख्या 547 दिल्ली जल बोर्ड में "कनसोल ऑपरेटर और "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" के पदों को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड–1 तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर–2 में पुनपदनामित करना तथा इन पदों पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों का निर्धारण ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–19 दिनांक 17.2.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि "कनसोल ऑपरेटर और "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" ग्रेड–1 के पद को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड–2 में पुर्नपदनामित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड द्वारा दोनो पदों के प्रस्तावित भर्ती नियमों को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई ।

संकल्प संख्या 540

मद संख्या 548 दिल्ली जल बोर्ड में सहायक प्रोग्रामर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियम ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–20 दिनांक 17.2.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि दिल्ली जल बोर्ड में सहायक प्रोग्रामर के पद हेतु भर्ती नियमों को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 541

मद संख्या 549 नियमित रूप से कार्यरत वर्क असिस्टैन्ट (सिविल) को कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु एक बार शिथिलता देना ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–21 दिनांक 18.2.2000 में वर्णित निम्न वर्क असिस्टैन्ट (सिविल) को कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति हेतु बांछित दक्षता सेवा में एक बार छूट देकर 10 वर्ष से 6 वर्ष करने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया:–

1. श्री अमरपाल
2. श्री लोक पाल
3. श्री सोदान सिंह
4. श्री जगदीश प्रसाद
5. श्री राजवीर सिंह
6. श्री महावीर सिंह
7. श्री अरूण कुमार गुप्ता
8. श्री अनिल कुमार त्यागी
9. श्री रफीक–उल–इस्लाम
10. श्री अशोक पाल

बोर्ड ने संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है । श्री प्रहलाद सिंह साहनी ने एक विशेष व्यक्ति का उल्लेख किया जिसका नाम उपरोक्त सूची में नहीं था तथा उन्हें उक्त मामले को जांच हेतु प्रेषित करने की सलाह दी गई ।

संकल्प संख्या 542

मद संख्या 550 दिल्ली जल बोर्ड के योग्य कर्मचारियों के लिए विभिन्न वर्दी की मदों की खरीद ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–22 दिनांक 18.2.2000 में वर्णित दिनांक–27.1.2000 की बैठक में बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किए गए नेवी ब्ल्यू ऊनी कपड़े, टैरीकोट कपड़े और पुरूषों के सैण्डिल की खरीद के मामले को स्वीकृति प्रदान करने पर पुर्नविचार करने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि 39448 मीटर नेवी ब्ल्यू ऊनी कपड़े को रू0 87.21 प्रति मीटर की दर से रू0 34,40,260.08 की कुल लागत पर मै0 केवल कृष्ण मेहरा टैक्सटाइल्स मिल्स, अमृतसर से, प्रस्तावित निबंधनों एवं शर्तो के अनुसार, 28,220 जोड़े पूरूषों के सैण्डल की खरीद के लिए रू0 26,33,321.08 के खर्च को तथा 74,266.50 मीटर खाकी टैरीकोट कपड़ा और 5692.50 मीटर सफेद टैरीकोट कपड़े को रू0 58.89 प्रति मीटर की दर से एक प्रतिशत छूट कम करके रू0 46,61,609.70 की कुल लागत पर मै0 राहुल डाईंग एण्ड प्रिंटिंग मिल्स, सांगली से खरीदने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड ने निर्देश दिया कि इन उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ।

मद संख्या 551 दिल्ली जल बोर्ड में मुख्य विधि अधिकारी के एक पद को रू0 14,300–18,300 के वेतनमान में सृजित करना तथा इस पद पर प्रति नियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति करना ।

बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार को स्थगित रखा गया ।

संकल्प संख्या 543

मद संख्या 552 पानी और सीवर के विकास प्रभार की दरों में संशोधन तथा नीति में परिवर्तन ।

निदेशक (राजस्व) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–9 दिनांक 18.2.2000 में वर्णित पानी और सीवर के विकास प्रभारों की दरों में संशोधन तथा नीति में परिवर्तन के प्रस्ताव पर बोर्ड ने चर्चा की तथा संकल्प लिया कि इसे रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 544

मद संख्या 553 पानी की लाइनें बिछाने के लिए विकास प्रभारों में संशोधन–अनाधिकृत अनियमित कालोनी के लिए इनको लागू करना ।

निदेशक (राजस्व) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–10 दिनांक 18.2.2000 में वर्णित पानी की लाइनें बिछाने के लिए विकास प्रभारों की संशोधित दरों को अनाधिकृत अनियमित कालोनियों पर लागू करने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि संशोधित दरें उक्त कालोनियों पर भी लागू होंगी ।

संकल्प संख्या 545

मद संख्या 554 वजीराबाद वाटर वर्क्स स्थित सैटलिंग टैंको के माध्यम से सूर स्नान घाट तक अस्थायी पंहुच मार्ग हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को स्वीकृति ।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–8 दिनांक 21.2.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि दिल्ली जल बोर्ड की भूमि पर स्थित सैटलिंग टैंक परिसर के माध्यम से सुर स्नान घाट पर पंहुचने के लिए अस्थायी पंहुच मार्ग की स्वीकृति दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रस्तावित निबंधनों एवं शर्तो के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण और वक्फ बोर्ड के मध्य विवाद हल होने तक अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सुर स्नान घाट तक अपनी सड़क के निर्माण किए जाने तक, प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 546

मद संख्या 555 माउण्टैड टैंकरों और मध्यम मोटर वाहनों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति ।
(सभा में प्रस्तुत)

मुख्य अभियंता (सिविल) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी.–18 दिनांक 22.2.2000 में वर्णित माउन्टेड टैंकरों और मध्यम मोटर वाहनों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति करने हेतु वाहनों को किराए पर लगाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि दिनांक 1.3.2000 से 31.3.2000 की अवधि तक प्रतिदिन 12 घंटों के लिए पहले से स्वीकृत दरों पर 200 वाहनों को किराए पर लगाने के लिए रू0 47.5 लाख के अनुमान को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से चर्चा :–

1. श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य ने दिल्ली जल बोर्ड में आपातकालीन सेवाओं पर चिन्ता प्रकट की । यह सूचित किया गया कि बोर्ड के माननीय सदस्य मुख्य अभियंता (वि.एव. या.)वाटर वर्क्स के आमंत्रण पर जल उपचार संयंत्रों पर आपातकालीन सेवाओं के लिए उपलब्ध उपकरणों को व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं ।

2. दिल्ली जल बोर्ड के दोषपूर्ण मीटरों तथा बिलों पर सदस्यों ने अपनी चिन्ता प्रकट की । सदस्यों का मत था कि पानी के बिल वास्तविक मीटर पठनों पर आधारित होने चाहिए तथा उपभोक्ताओं को लगातार तदर्थ बिल न भेजे जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ।

3. लाजपत नगर में पिछले 10 वर्षों से रखे गए और उपयोग में न लाए गए दिल्ली जल बोर्ड के पाइपों पर अध्यक्ष महोदया ने चिन्ता प्रकट की । उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में वस्तुओं की बर्बादी को रोकने के लिए कठोर कदम उठाये जाने पर जोर दिया ।

4. सदस्यों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीवर लाइनें बिछाने की सम्भावनाओं का पता लगाने तथा शहरी क्षेत्र में पुरानी सीवर लाइनों के बैठने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन सीवर लाइनों की स्थिति का सर्वेक्षण किया जाए । तत्पश्चात् सीवर की समस्याओं से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाए ।

सचिव

अध्यक्ष

गोपनीय

संकल्प संख्या 515

मद संख्या 506 सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 6020/98, 2031/99, 2076/99, 1980/99 तथा 2027/99 के मामलें में माननीय उच्च न्यायलय के निर्णय के अनुसार सर्वश्री उत्तम कुमार, सहायक अभियंता (वि.एव. या.), श्री वी.के. गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता (वि.एव. या.), श्री आर.सी मग्गो, सहायक अभियंता (वि.एवं या.), श्री ओ.पी. सिंघल, सहायक अभियंता (वि.एवं या.) तथा श्री एम.एम.सिंह सैनी, सहायक अभियंता (वि.एवं या.) के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाई को रदद् करना ।

सर्वश्री उत्तम कुमार, सहायक अभियंता (वि.एव. या.), श्री वी.के. गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता (वि.एव. या.), श्री आर.सी मग्गो, सहायक अभियंता (वि.एवं या.), श्री ओ.पी. सिंघल, सहायक अभियंता (वि.एवं या.) तथा श्री एम.एम.सिंह सैनी, सहायक अभियंता (वि.एवं या.) को दिनांक 28.9.95 को जारी किए गए आरोप पत्र को रदद् करने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया तथा प्रस्तावित कार्यवाई को स्वीकृति प्रदान की गई । अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/एल.एस.–1/सतर्कता/4 दिनांक 20.1.2000 में वर्णित श्री महेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता (वि.एवं या.) को दिनांक 28.9.95 को जारी आरोप पत्र को रदद् करने के प्रस्ताव को भी बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी । बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार को अपनी 28वीं बैठक में स्थगित रखा गया था ।

संकल्प संख्या 537

मद संख्या 545 सर्वश्री अच्छे लाल, सहायक अभियंता (वि.एवं या.) (तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता (वि.एवं या.), जैड.आई. खान, सहायक अभियंता, एच.एल. भरेजा, सब इन्जीनियर (तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता (वि.एवं या.) एन.एस. चौहान, सहायक अभियंता (वि.एवं या.), (तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता (वि.एवं या.), एम.के. सुल्तान, कनिष्ठ अभियंता तथा टी.सी. खटकवाल, सहायक अभियंता, एक संयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाई में सह–अभियुक्त अधिकारी, के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाई को रदद् करना ।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/एल.एस.–1/सतर्कता/5 दिनांक 9.2.2000 में वर्णित सर्वश्री अच्छे लाल, सहायक अभियंता (वि.एवं या.) (तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता(वि.एवं या.), जैड.आई. खान, सहायक अभियंता, एच.एल. भरेजा, सब इन्जीनियर (तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता (वि.एवं या.) एन.एस. चौहान, सहायक अभियंता (वि.एवं या.), (तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता (वि.एवं या.), एम.के. सुल्तान, कनिष्ठ अभियंता तथा टी.सी. खटकवाल, सहायक अभियंता, के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाई को रदद् करने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

सचिव

अध्यक्ष